

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 794/2020

अनवान : -

1. गंगाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. काशीराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर हाल निवासी भैरूसर तहसील व जिला चुरू।
2. खिराज उर्फ अमरसिंह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर हाल निवास भैरूसर तहसील व जिला चुरू।
3. गुगनराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
4. जगमाल पुत्र पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर हाल भैरूसर तहसील व जिला चुरू।
5. बस्तीराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी मुखराम का बास तहसील व जिला झुंझनु।
6. महेश पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील व जिला झुंझनु।
7. मोनिका पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
8. रमेश पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील व जिला झुंझनु।
9. लालचन्द पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर हाल भैरूसर तहसील व जिला चुरू।
10. संतोष पत्नी लिछमण जाति जाट निवासी बास हरिपुरा तहसील व जिला झुंझनु।
11. सुभाष पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा  
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम


उपस्थिति :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी  
श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण  
पेरोकार राज


निर्णय

दिनांक: 22/10/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता संख्या 108/97 की कुल 21.4230 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सीव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए हक हिस्सा व कब्जा कास्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का  हक हिस्सा व कब्जा कास्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

 उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

अतः वाद वादी घोषणा की जावे की रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता संख्या 108/97 की कुल 21.4230 हैक्ट में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 5, 6, 8, 10 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीसंख्या 2, 3, 4, 7, 9, 11 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 12 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रह तत्पश्चात बहस सुनी गयी। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया वाद भूमि को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 4, 7, 9, 11 ने भी वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता संख्या 108/97 की कुल 21.4230 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाशकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।


अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता संख्या 108/97 की कुल 21.4230 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 गंगाराम पुत्र हीराराम जाति जाट सा0 भुरानपुरा तह0 टिब्बी हाल देह खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खुईया— ग्राम ढाणी भाम्भुआन ख0न0 660/2 की 0.253 हैक्ट, ख0न0 608 की 0.038 हैक्ट, ख0न0 610 की 0.512 हैक्ट, ख0न0 632/3 की 1.4034 हैक्ट कुल 2.2264 हैक्ट बारानी प्रथम
- 2 गुगनराम पुत्र हीराराम जाति जाट सा0 भुरानपुरा तह0 टिब्बी हाल देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गोरखाना— ग्राम ढाणी भाम्भुआन ख0न0 660/1 की 0.961 हैक्ट, 632/2 की 1.2654 हैक्ट कुल 2.2264 हैक्ट बारानी प्रथम
- 3 लालचन्द पुत्र हीराराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 भुरानपुरा तहसील टिब्बी खातेदार, जगमाल पुत्र हीराराम हिस्सा 1/4 हिस्सा जाति जाट सा0 भुरानपुरा तह0 टिब्बी खातेदार, काशीराम पुत्र हीराराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 भुरानपुरा तह0 टिब्बी खातेदार, खिराज उर्फ अमरसिंह पुत्र हीराराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 भुरानपुरा तह0 टिब्बी खातेदार— ग्राम ढाणी भाम्भुआन ख0न0 838/2 की 1.2885, ख0न0 610/1 की 0.070 हैक्ट, ख0न0 632/1 की 3.0852 कुल 4.4237 हैक्ट बारानी प्रथम

- 4 सुभाष पुत्र लालचन्द हि0 4071/8119 जाति जाट सा0 भुरानुपरा तह टिब्बी हाल देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना, मोनिका पत्नी सुभाष हि0 4048/8119 जाति जाट सा0 भुरानुपरा हाल ढाणी भाम्भुआन खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गोरखाना— ग्राम ढाणी भाम्भुआन ख0न0 594/1 की 4.0970 हैक्ट, ख0न0 594/2 की 4.0220 हैक्ट कुल 8.119 हैक्ट बारानी प्रथम
- 5 बस्तीराम पुत्र गोपालराम हि0 16445/44275 जाति जाट सा0 मुखरामकाबासतहजिलाझुन्झनु खातेदार महेश पुत्र लिछमणसिंह हि0 9277/44275 जाति जाट बास हरिपुरातहजिलाझुन्झनु खातेदार रमेश पुत्र लिछमणसिंह हि0 9276/44275 जाति जाट बास हरिपुरातहजिलाझुन्झनु खातेदार, संतोष पत्नी लिछमणसिंह हि0 9277/44275 जाति जाट बास हरिपुरातहजिलाझुन्झनु खातेदार— ग्राम ढाणी भाम्भुआन ख0न0 838/1 की 4.4275 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गंदवाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 794/2020

अनवान : -

1. गंगाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तसील नोहर।

- वादी

### बनाम

1. काशीराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर हाल निवासी भैरूसर तहसील व जिला चुरू।
2. खिराज उर्फ अमरसिंह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर हाल निवास भैरूसर तहसील व जिला चुरू।
3. गुगनराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
4. जगमाल पुत्र पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर हाल भैरूसर तहसील व जिला चुरू।
5. बस्तीराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी मुखराम का बास तहसील व जिला झुंझनु।
6. महेश पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील व जिला झुंझनु।
7. मोनिका पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
8. रमेश पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील व जिला झुंझनु।
9. लालचन्द पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर हाल भैरूसर तहसील व जिला चुरू।
10. संतोष पत्नी लिछमण जाति जाट निवासी बास हरिपुरा तहसील व जिला झुंझनु।
11. सुभाष पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 794 सन 2020 निर्णय दिनांक - 22/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता संख्या 108/97 की कुल 21.4230 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


- 1 गंगाराम पुत्र हीराराम जाति जाट सा0 भुरानपुरा तह0 टिब्बी हाल देह खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खुईया- ग्राम ढाणी भाम्भुआन ख0न0 660/2 की 0.253 हैक्ट, ख0न0 608 की 0.038 हैक्ट, ख0न0 610 की 0.512 हैक्ट, ख0न0 632/3 की 1.4034 हैक्ट कुल 2.2264 हैक्ट बारानी प्रथम
- 2 गुगनराम पुत्र हीराराम जाति जाट सा0 भुरानपुरा तह0 टिब्बी हाल देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गोरखाना- ग्राम ढाणी भाम्भुआन ख0न0 660/1 की 0.961 हैक्ट, 632/2 की 1.2654 हैक्ट कुल 2.2264 हैक्ट बारानी प्रथम

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

- 3 लालचन्द पुत्र हीराराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 भुरानपुरा तहसील टिब्बी खातेदार, जगमाल पुत्र हीराराम हिस्सा 1/4 हिस्सा जाति जाट सा0 भुरानपुरा तह0 टिब्बी खातेदार, काशीराम पुत्र हीराराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 भुरानपुरा तह0 टिब्बी खातेदार, खिराज उर्फ अमरसिंह पुत्र हीराराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 भुरानपुरा तह0 टिब्बी खातेदार— ग्राम ढाणी भाम्भुआन ख0न0 838/2 की 1.2885, ख0न0 610/1 की 0.070 हैक्ट, ख0न0 632/1 की 3.0852 कुल 4.4237 हैक्ट बारानी प्रथम
- 4 सुभाष पुत्र लालचन्द हि0 4071/8119 जाति जाट सा0 भुरानपुरा तह टिब्बी हाल देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना, मोनिका पत्नी सुभाष हि0 4048/8119 जाति जाट सा0 भुरानपुरा हाल ढाणी भाम्भुआन खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गोरखाना— ग्राम ढाणी भाम्भुआन ख0न0 594/1 की 4.0970 हैक्ट, ख0न0 594/2 की 4.0220 हैक्ट कुल 8.119 हैक्ट बारानी प्रथम
- 5 बस्तीराम पुत्र गोपालराम हि0 16445/44275 जाति जाट सा0 मुखरामकाबासतहजिलाझुन्झनु खातेदार महेश पुत्र लिछमणसिंह हि0 9277/44275 जाति जाट बास हरिपुरातहजिलाझुन्झनु खातेदार रमेश पुत्र लिछमणसिंह हि0 9276/44275 जाति जाट बास हरिपुरातहजिलाझुन्झनु खातेदार, संतोष पत्नी लिछमणसिंह हि0 9277/44275 जाति जाट बास हरिपुरातहजिलाझुन्झनु खातेदार— ग्राम ढाणी भाम्भुआन ख0न0 838/1 की 4.4275 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
 (पंकज गढ़वाल R.A.S)  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 एवं सहायक कलक्टर नोहर